संख्या- 02 / 2026 / 3208 / चार-2025-1996569

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2026

विषय:- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग मैनपावर एवं पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व सैनिक श्रमिकों की सेवाओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 694 /उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2018-19-V, दिनांक 03 नवम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग मैनपावर एवं पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व सैनिक श्रमिकों की सेवाओं के भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान -58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान - 01- वेतन मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान- 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-3208-IV-2025

विषय:- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय व अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग मैनपावर एवं पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व सैनिक श्रमिकों की सेवाओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	01 (वेतन)	12,32,00,000 रुपये बारह करोड़ बत्तीस लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	10,82,00,000 रुपये दस करोड़ बयासी लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 1,50,00,000	₹ 1,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 1,50,00,000	₹ 1,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- वास्तविक व्यय के कारण।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों एवं पूर्व सैनिकों के वेतन भुगतान के कारण।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-183-E-7-119-X-2025-26- दिनांक: 19-12-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या: 02 / 2026/ 3208 (1) /चार-2025-1996569, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in